निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ ( )लेखा/निकाशि/अनु/2014–15/684 दिनांक– 01.02.2014

आवश्यक सूचना

शैक्षणिक सत्र 2014–15 हेतु नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने/ पूर्व संचालित महाविद्यालयों को TNOC में अभिवृद्धि/PNOC / नवीन विषय/ नवीन संकाय/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/ सहशिक्षा अथवा कन्या महाविद्यालय सम्बन्धी परिवर्तन आदि के लिए बिना विलम्ब शुल्क दिनांक 28.2.14 तक तथा विलम्ब शुल्क रूपये 25,000/–सहित दिनांक 16.03.2014 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते है । समस्त राशि का डी0 डी0 निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के नाम बनवाकर संलग्न करें ।

अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र इस विभाग की वेब साईट www.dce.rajasthan.gov.in के "Act & Rules" के 'Policies & Guidelines' लिंक पर उपलब्ध है । बिना निर्धारित आवेदन पत्र एवं निर्धारित अवधि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नही किया जायेगा ।

निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

सत्र 2014–16 के लिये प्रभावी

निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय / नवीन विषय / अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि / स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु दिशा निर्देश।

(1) सत्र 2014–15 के लिए निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने/ नवीन विषय / पूर्व संचालित महाविद्यालयों को अस्थाई/स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र/ जारी करने संबंधित गाईड लाईन

यह पालिसी सत्र 2014–15 के लिए नवीन महाविद्यालयों हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र, पूर्व में संचालित महाविद्यालयों हेतु अस्थायी प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि एवं स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर लागू रहेगी । संस्था द्वारा नवीन महाविद्यालय का नाम पूर्ण विचार कर ही तय किया जाये, उसी स्थानीय/ निकाय क्षेत्र में मिलते जुलते नाम का महाविद्यालय नहीं हो तथा महाविद्यालय के नाम में आपत्तिजनक/ प्रतिबन्धित शब्द नहीं होने चाहिये । कई बार "कन्या महाविद्यालय" "वाणिज्य महाविद्यालय" जैसे नाम आवेदित किये जाते है जो कि नाम न होकर मात्र महाविद्यालय का प्रकार मात्र होते है । आवेदक संस्थायें आवेदन करने से पूर्व राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम–1989 एवं नियम 1993 (आगे 'उक्त नियमों' के रूप में उल्लेखित) तथा समस्त नियम एवं शर्तें केवल इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय/संस्थाओं पर ही लागू होंगे।

नीति निर्देश के मुख्य बिन्दु –

1 आवेदक एक समिति/संस्था/ट्रस्ट का गठन करेगा, जिसका पंजीयन "राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958" अथवा "राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959" अथवा "भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882" के अन्तर्गत होना अनिवार्य है।

2 समिति /संस्था/ट्रस्ट के पंजीकृत विधान के उद्देश्यों में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था का उल्लेख होना अनिवार्य है।

3 प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए नीचे विहित रीति से एक प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी–

(क) प्रबन्ध समिति संस्था या संस्थाओं के प्रधान या प्रधानों सहित 15 से 21 सदस्यीय होनी चाहिए जिसमें 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है।

(ख) प्रबंध समिति में किसी भी एक समुदाय, जाति या पंथ के दो–तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे,

(ग) कुल सदस्यता के एक–तिहाई से अन्यून सदस्य दाताओं या अभिदाताओं में से होंगे।

(घ) स्थायी स्टाफ में से चयनित एक सदस्य प्रबंध समिति में सम्मिलित किया जायेगा।

(ङ) कम से कम एक सदस्य प्रबंध द्वारा चलायी जा रही संस्था या संस्थाओं के विद्यार्थियों के माता–पिता में से सहयोजित किया जायेगा।

(च) संस्था के कम से कम एक प्रतिष्ठित पुराने विद्यार्थी को प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा।

(छ) प्रबंध प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात निर्वाचन करवायेगा और नये प्रबंध समिति का गठन करेगा।

(ज) संस्था में न्यूनतम दो शिक्षाविद सदस्य होंगे ।

4. राजस्थान राज्य में कहीं भी महाविद्यालय की स्थापना के लिये समिति/न्यास द्वारा आवेदन करने पर आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र से समर्थित होने पर संस्था के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के साथ मानदण्डानुसार भूमि तथा प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिए लीज/किराये पर भवन उपलब्ध होने पर निदेशालय द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त आवेदन करने के सत्र 2014-15 से समिति/न्यासों को महाविद्यालय संचालन का अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा। यह अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारम्भ में तीन सत्र के लिए जारी किया जायेगा। तत्पश्चात संस्था को अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु विभाग में सत्रानुसार आवेदन करना होगा।

5. नवीन महाविद्यालय का आवेदन अपूर्ण होने पर, मानदण्डानुसार दस्तावेज प्रतीयों संलग्न नहीं होने पर, निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर अथवा निरीक्षणोपरान्त समय पर कमियों की पूर्ति नहीं किये जाने पर उक्त नवीन सत्र के लिये कोई विचार नहीं किया जावेगा। संस्था को यदि आवेदित सत्र में अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है तो संस्था का आवेदन उस सत्र के लिये निरस्त माना जायेगा तथा आवेदन शुल्क को लौटाया जाना सम्भव नहीं होगा। संस्था को आगामी सत्र के लिये पुनः आवेदन करना होगा।

6. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के तीन सत्र पश्चात् संस्था को विभाग में आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के परीक्षण एवं निरीक्षणोपरान्त संस्था को मानदण्ड पूरे करने पर अस्थायी/स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा तथा ऐसे महाविद्यालय जिन्हें सत्र 2013-14 में नवीन महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है को आवेदन करने पर निरीक्षण एवं परिक्षणोपरान्त वर्ष 2014-15 में दो सत्रों के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि जारी की जा सकेगी।

7. संस्थाये राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति पश्चात् निर्धारित अवधि में आवेदन करें।

8. संस्था यह ध्यान रखे कि केवल राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से तथा अन्य नियामक संस्थाओं से सम्बद्धता एवं अनुमोदन लेने के उपरान्त ही महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से स्वीकृत सीटों की संख्या तक प्रवेश दिया जा सकेगा, जिसका दायित्व संस्था का होगा।

9. संस्था द्वारा तीन अकादमिक सत्र संतोषप्रद ढंग से पूर्ण करने पर ही महाविद्यालय स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने निदेशालय कालेज शिक्षा द्वारा निरीक्षण करवाने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु उल्लेखित मानदण्डों को पूर्ण कर लिया हो। यदि महाविद्यालय पांच वर्ष की अवधि तक स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती है तो महाविद्यालय का अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। इसके पश्चात संस्था प्रथम वर्ष में नवीन प्रवेश नहीं दे सकेगी व केवल द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के लिये ही महाविद्यालय का संचालन किया जा सकेगा।

10 स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नयन हेतु पात्र होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नयन हेतु पृथक से विभाग की अनुमति की आवश्यकता होगी तथा ऐसी संस्थायें जिन्हें स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ नवीन विषय / संकाय में अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है उन्हें सम्बन्धित विषय / संकाय में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक विभाग में नीति अनुसार आवेदन करना होगा । यह अनुमति संस्था द्वारा यूजीसी मापदण्डों की पूर्ति के अध्यधीन होगी।

ऐसी संस्थायें जिनके द्वारा स्नातकोत्तर संकाय हेतु एक बार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, उन्हें इसके बाद उसी संकाय में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी ये संस्थायें सीधे ही सम्बन्धित विश्वविद्यालय को आवेदन कर सम्बन्धित विषय संचालन हेतु अनुमति / सम्बद्धता प्राप्त कर सकेंगी । परन्तु नया स्नातकोत्तर संकाय प्रारम्भ करने हेतु निदेशालय में नीति अनुसार आवेदन करना होगा।

11 **स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड –**

(क) तीन वर्ष की अवधि में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि एवं भवन की व्यवस्था कर ली हो।

(ख) आचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति का सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत व्याख्याताओं की सूची सहित प्रेषित पत्र की प्रति ।

(ग) महाविद्यालय के स्टॉफ का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो।

(घ) महाविद्यालय के समस्त स्टॉफ की पी एफ. कटौती नियमानुसार की जा रही हो ।

(ङ) छात्र–छात्राओं की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो ।

(च) भूमि का रूपान्तरण शैक्षणिक प्रयोजनार्थ करवाने का 10/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र तथा रूपान्तरण शुल्क जमा होने की रसीद ।

उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के सम्बन्ध में शपथ पत्र स्वीकार नहीं होगा ।

12 **विधि महाविद्यालय**

उन्हीं स्थानों पर खोले जा सकेंगे जहां जिला / एडीजे न्यायालय / सी.जे.एम कोर्ट उपलब्ध होंगे । अतः उन्हीं स्थानों के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जावें। **बी.सी.आई मान्यता एवं सम्बद्धक विश्वविद्यालय से सम्बद्धता अपने स्तर पर प्राप्त करेंगे ।**

13 **सहशिक्षा में परिवर्तन**

अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात महिला महाविद्यालय का सहशिक्षा में परिवर्तन स्वीकार तभी किया जावेगा, जब महाविद्यालय सहशिक्षा के मापदण्ड (भूमि, भवन व एफडीआर) पूरे करती हो। स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महिला महाविद्यालय यदि सह शिक्षा में परिवर्तित होना चाहें तो उनके लिए भी सह शिक्षा महाविद्यालयों के मापदण्ड पूर्ण करने अनिवार्य होंगे। इस हेतु विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। **संस्था को 100 अथवा कुल विद्यार्थियों के 25% (जो भी अधिक हो) के अभिभावकों से अनुमति प्राप्त कर सहशिक्षा में परिवर्तन की सहमति का शपथ पत्र देना होगा।**

14 **सहशिक्षा में परिवर्तन / नाम परिवर्तन / स्थान परिवर्तन की अनुमति निदेशालय स्तर से जारी की जावेगी (महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन सम्बन्धित स्थानीय निकायों की सीमा तक होगा) ।**

15 **संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने हेतु नियम –**

अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबन्ध को अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात निम्नलिखित परिस्थितियों में उसकी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र या स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले सकेगा –

(क) यदि किसी संस्था का प्रबन्ध कपट/दुर्व्यपदेशन से या तात्विक विशिष्टियों को छिपाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करता है या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात कोई संस्था इन नियमों के परिशिष्ट–II में विहित किन्हीं भी निबन्धों और शर्तों का पालन करने में विफल रहती है।

(ख) यदि प्रबन्ध मण्डल ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना किसी शैक्षिक संस्था या उसके किसी भाग को बन्द कर दिया है।

(ग) यदि प्रबन्ध ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना शैक्षिक संस्था को किसी अन्य भवन या स्थान में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(घ) यदि संस्था का प्रबन्ध सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रबन्ध समिति/ संस्था को अंतरित कर दिया गया है।

(ङ) यदि अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की कालावधि को समाप्ति पर प्रबन्ध या तो अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि को बढ़ाने या स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(च) यदि संस्था विभागीय निर्देशों की लगातार अवहेलना कर रही हो।

(छ) किसी भी संस्था को पृष्ठलक्षी प्रभाव से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा।

16 स्थायी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा नियमों/ निर्देशों की अवहेलना करने पर उसे अनुशासित करने हेतु विभाग द्वारा उचित समझे जाने पर उसकी स्थायी मान्यता को पुनः अस्थायी मान्यता में परिवर्तित करने एवं प्रतिवर्ष निरीक्षण कराने का विभाग को अधिकार होगा । नियम/ निर्देश पालना नियमित होने पर संस्था को पुनः आवेदन करने व विभाग की संतुष्टि होने पर स्थायी मान्यता दी जा सकेगी ।

17 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं को स्थायी अनापत्ति प्राप्ति तक प्रतिवर्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। संस्था द्वारा स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक प्रतिवर्ष निर्धारित अवधि में आवेदन करना आवश्यक है।

18 जिन संस्थाओं ने 2012–13 में भवदण्ड पूरे नहीं किये थे व कार्यालय आदेश क्रमांक 1280 दिनांक 13.8.13 से उन्हें सत्र 2013–14 में अन्तिम बार अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई थी, वे सत्र 2014–15 में भवदण्ड पूरे न करने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के हकदार नहीं होंगे तथा उनके महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित होंगे । गत सत्र 2013–14 में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के भवदण्ड पूरे न करने वाली ऐसी संस्थायें जो 2014–15 में भी स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के भवदण्ड पूरे नहीं करेंगी उनसे वर्ष 2013–14 में अधिरोपित लेकिन आदेश क्रमांक 1280 दिनांक 13.8.13 से स्थगित शास्ति वसूली योग्य होगी । ऐसी संस्थायें सत्र 2014–15 से प्रथम वर्ष में प्रवेश तब तक नहीं लेंगी जब तक वे शर्तें पूरी कर निदेशालय से सत्र 2014–15 के स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लें इस हेतु अलग से सूचित नहीं किया जायेगा ।

18 आवेदन शुल्क

संस्थाएं समस्त राशियों को एक साथ जोड़कर कुल राशि का एक ही डिमान्ड ड्राफ्ट निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर के नाम बनवाकर विभाग को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें। आवेदन शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से है –

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1	नवीन महाविद्यालयों के लिये– (क) सहशिक्षा महाविद्यालय (ख) महिला महाविद्यालय (ग) उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र (परिशिष्ट–III) (घ) आरक्षित विधानसभा क्षेत्र (परिशिष्ट–IV)	 80 000 25 000 15 000 15 000
2	अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि / स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र	20 000
3	केवल सत्र 2013–14 में नवीन महाविद्यालय हेतु जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों के लिए अभिवृद्धि शुल्क	40 000
4	सहशिक्षा परिवर्तन	30,000
5	नाम परिवर्तन	25,000
6	स्थान परिवर्तन	25,000
7	प्रबन्ध अन्तरण	25,000
8	बी.ए. कोई दो समूह अथवा कुल छः विषय तक	5000
9	बी.ए. में उपरोक्त छः विषयों के अतिरिक्त विषयों (कुल 12 विषयों तक)	3000
10	बी.ए. में 12 विषयों से अधिक पर	3000
11	बी.कॉम. तीन सामान्य विषय	5000
12	बी.कॉम. तीन सामान्य विषयों के अतिरिक्त विषयों पर	3000
13	बी.एस.सी.बायोलॉजी	5000
14	बी.एस.सी. गणित	6000
15	बी.बी.ए. / बी.सी.ए. / बी.एस.सी.आईटी या अन्य कोई संकाय प्रत्येक पर	5000
16	एलएलबी. तीन वर्षीय	6000
17	एलएलबी. पाँच वर्षीय	5000
18	स्नातक स्तर के डिप्लोमा या अन्य एक और दो वर्षीय कोर्स (प्रति कोर्स, डिप्लोमा)	6000
19	स्नातकोत्तर (प्रत्येक विषय)	6000

20 **मियादी जमा (एफ.डी.आर.)**

नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने से पूर्व पांच वर्ष के लिए मियादी जमा (एफ डी.आर.) के रूप में महाविद्यालय के नाम, पता एवं संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें), निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के संयुक्त खाते में निम्न तालिकानुसार जमा करानी होगी–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	सामान्य क्षेत्र	आदिवासी / पिछड़ा क्षेत्र
1	सहशिक्षा महाविद्यालय	10.00	5.00
2	महिला महाविद्यालय	04.00	2.00

21 **एफडीआर राशि का पुर्नभुगतान** –

महाविद्यालय के नाम तथा संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें), कॉलेज शिक्षा के संयुक्त नाम से बनी एफडीआर का संस्था अपरिहार्य कारणों से नगदीकरण कराने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती है –

1 अगर संस्था ने आवेदन किया हो परन्तु संस्था को एनओसी जारी नहीं की गई हो तो ऐसी स्थिति में नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी ।

2 अगर संस्था को एनओसी जारी हो गई हो किन्तु संस्था द्वारा आवश्यक विभागीय मापदण्डों की समय पर पूर्ति नहीं करने पर (5 वर्ष तक) व संस्था के स्तर के महाविद्यालय संचालन बंद करने पर या असमर्थता व्यक्त करने पर नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी लेकिन अगर विभाग द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है व उसका संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया गया है तो उतनी राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज (Overdue-Period के लिए) विभाग नकदीकरण की स्थिति में प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

3 एफडीआर नगदीकरण हेतु 10/–रू. के गैर न्यायिक शपथ पत्र निम्नलिखित आशयों का प्रस्तुत करना होगा –

(क) महाविद्यालय का संचालन पूरी तरह से बन्द कर दिया गया है एवं किसी भी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं है.

(ख) महाविद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का कोई वेतन भुगतान बकाया नहीं है

(ग) महाविद्यालय / संस्था ने किसी भी प्रकार का ऋण आदि प्राप्त नहीं किया हो.

(घ) महाविद्यालय / संस्था ने सरकार से किसी भी प्रकार की भूमि एवं भवन आदि रियायती दर पर प्राप्त नहीं किया हो।

22 **आवेदन पत्र**

आवेदन पत्रों के प्रारूप निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।

23 महत्वपूर्ण तिथियाँ–

सत्र 2014–15 के लिए नवीन निजी महाविद्यालय, अस्थायी अनापत्ति प्रमाण अभिवृद्धि / स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्थान परिवर्तन/साझेदारी में परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण/नवीन विषय व संकाय हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियां निम्न प्रकार रहेंगी–

आवेदन प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि	विलम्ब शुल्क
28 फरवरी, 2014 तक	शून्य
15 मार्च, 2014 तक	रू. 25,000/–

24 भूमि

क्र.स	स्थान	महाविद्यालय के लिए (अविवादित स्वामित्व वाली)
1	जयपुर महानगरीय क्षेत्र में	3000 वर्गमीटर
2	अन्य सम्भागीय मुख्यालय क्षेत्रों में	4000 वर्गमीटर
3	जिला मुख्यालय	5000 वर्गमीटर
4	अन्य समस्त क्षेत्रों में	6000 वर्गमीटर

नोट– भूमि से सम्बन्धित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिये–

1. भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र संलग्न होना चाहिये।
2. सम्बन्धित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र
3. आवेदक संस्था के नाम से पंजीकृत भूमि/सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज (संस्था के पदाधिकारियों के नाम से दर्ज भूमि मान्य नहीं होगी)
4. पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार किया गया तथा सम्बन्धित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा।
5. प्रस्तावित कॉलेज के लिये पंजीकृत सोसायटी /न्यास द्वारा पंजीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित कॉलेज के लिये भूमि को चिन्हित किया गया हो।
6. राजस्व क्षेत्र में राजस्व अधिकारी तथा स्थानीय निकाय क्षेत्र में उसके सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र कि "संस्था का भवन संस्था के नाम दर्शायी गयी भूमि (पूरा पता) पर ही स्थित है।" भी प्रस्तुत करना होगा।

परिशिष्ट–I

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भवन मानदण्ड

कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
कला संकाय –	7	(20 ×30')
वाणिज्य संकाय –	4	(20'×30')
विज्ञान संकाय –	6	(20'×30')
प्रयोगशाला विषयवार–	1	(20'×30')
विधि संकाय (मूट कोर्ट सहित)–	6	(20 ×30')
व्यावसायिक पाठ्यक्रम	1 प्रतिविषय	(20 ×30')
प्रशासनिक भवन		
अ. कार्यालय कक्ष –	2	(15 ×20)
ब. भण्डार कक्ष –	1	(20'×30')
स प्राचार्य कक्ष –	1	(12'×12')
द उपाचार्य कक्ष –	1	(12'×12')
(छात्र संख्या 3000 से अधिक होने पर)		
प्राध्यापक कक्ष –	1	(20 ×30)
एन.सी.सी.	1	(12 ×12')
एन.एस.एस	1	(12 ×12')
खेलकूद	1	(20 ×30')
पुस्तकालय भवन	1	(20 ×30')

परिशिष्ट–II

तीन वर्षों में महाविद्यालय भवन के न्यूनतम निर्माण की वर्षवार अनिवार्यतायें

1 प्रथम वर्ष के लिए (संकाय वार)

क्र.स.	कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	3	20'x30'
2	वाणिज्य संकाय	2	20'x30'
3	विज्ञान संकाय	3	20'x30'
4	विधि संकाय	2	20'x30'
विज्ञान संकाय प्रयोगशाला			
1	रसायन विज्ञान	1	20'x30'
2	भौतिक विज्ञान	1	20'x30'
3	प्राणी विज्ञान	1	20'x30'
4	वनस्पति विज्ञान	1	20'x30'
5	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2	20'x30'

प्रत्येक प्रयोगशाला में एक भण्डार कक्ष, प्रायोगिक कक्ष, डार्क रूम, बैलेन्स रूम, प्राध्यापक कक्ष, संग्रहालय एवं पर्याप्त वनस्पति उद्यान एवं जन्तु उद्यान की व्यवस्था हो।

प्रशासनिक भवन

1.	कार्यालय कक्ष	2	15'x20'
2	स्टॉफ रूम मय शौचालय	1	20'x30'
3	भण्डार कक्ष	1	20'x10'
4	प्राचार्य कक्ष मय शौचालय	1	12'x12'
5	उपाचार्य कक्ष मय शौचालय (300 से अधिक विद्यार्थी संख्या होने पर)	1	12'x12'
6	पुस्तकालय भवन मय शौचालय	1	20'x30'

2 द्वितीय वर्ष के लिए –

प्रथम वर्ष में दी गई व्यवस्था के निर्माण के उपरान्त द्वितीय वर्ष में निम्न निर्माण आवश्यक है.

क्र सं	कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	2	20'x30'
2	वाणिज्य संकाय	1	20'x30'
3	विज्ञान संकाय	2	20'x30'
4	विधि संकाय	2	20'x30'
5	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2	20'x30'
6	एन.सी.सी.	1	12'x12'
7	एन.एस.एस.	1	12'x12'
8	खेलकूद	1	20'x30'
विज्ञान संकाय प्रयोगशाला			
1	रसायन विज्ञान	1	20'x30'
2	भौतिक विज्ञान	1	20'x30'
3	प्राणी विज्ञान	—	—
4	वनस्पति विज्ञान	—	—

3 तृतीय वर्ष के लिए–

क्र सं	कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	2	20'x30'
2	वाणिज्य संकाय	1	20'x30'
3	विज्ञान संकाय	1	20'x30'
4	विधि संकाय	2	20'x30'
5	मूट कोर्ट	1	20'x30'
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2	20'x30'

परिशिष्ट–III

उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े उपखण्डों की सूची

क्र.सं.	जिला	उपखण्ड
1	अजमेर	1 [illegible]
		2 [illegible]
2	बांसवाड़ा	3 अनापुरी
3	बारां	4 [illegible]
4	बाड़मेर	5 [illegible]
		6 समदड़ी
		7 शिव
5	भीलवाड़ा	8 बनेड़ा
		9 कोटड़ी
		10 [illegible]
		11 [illegible]
		12 [illegible]
6	बीकानेर	13 [illegible]
		14 छतरगढ़
7	चित्तौड़गढ़	15 गंगरार
		16 भूपालसागर
8	दौसा	17 [illegible]
9	डूंगरपुर	18 [illegible]
		19 [illegible]
10	जैसलमेर	20 [illegible]
		21 [illegible]
11	जालौर	22 [illegible]
		23 [illegible]
		24 [illegible]
		25 [illegible]
12	झालावाड़	26 [illegible]
		27 [illegible]
		28 [illegible]
13	जोधपुर	29 शेरगढ़
		30 बाप
		31 बावड़ी
14	करौली	32 [illegible]
15	कोटा	33 [illegible]
16	नागौर	34 [illegible]
17	पाली	35 [illegible]
18	सवाईमाधोपुर	36 [illegible]
		37 [illegible]
19	टोंक	38 [illegible]
20	उदयपुर	39 [illegible]
		40 [illegible]
	कुल योग	40

नोट :– उक्त सूची अनन्तिम है । इसके अलावा भी ऐसे क्षेत्र जहाँ कोई भी सरकारी अथवा निजी महाविद्यालय नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पिछड़े क्षेत्र की सूची में माना जा सकता है। आवेदक संस्था को उपखण्ड कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके महाविद्यालय का स्थान उपरोक्त सूची में वर्णित उपखण्ड क्षेत्र में आता है ।

परिशिष्ट–IV

आरक्षित क्षेत्रों की सूची राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र
1	अजमेर	दद. अजमेर दक्षिण
2	अलवर	अलवर ग्रामीण
3		कठूमर
4	बाड़मेर	चौहटन
5	भरतपुर	बयाना
6		वैर
7	भीलवाड़ा	शाहपुरा
8	बीकानेर	खाजूवाला
9	बून्दी	केशोरायपाटन
10	चित्तौड़गढ़	कपासन
11	चुरू	सुजानगढ़
12	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़
13		रायसिंहनगर
14	जयपुर	दूदू
15		चाकसू
16		बगरू
17	जालोर	जालोर
18	झालावाड़	डग
19	झुंझुनूं	पिलानी
20	जोधपुर	भोपालगढ़
21		बिलाड़ा
22	कोटा	रामगंजमण्डी
23	नागौर	जायल
24		मेड़ता
25	पाली	सोजत
26	सवाई माधोपुर	खण्डार
27	सीकर	धोद
28	सिरोही	रेवदर
29	टोंक	निवाई
30	बारां	बारां–अटरू
31	दौसा	सिकराय
32	करौली	हिण्डौन
33	धौलपुर	बसेड़ी
34	हनुमानगढ़	पीलीबंगा

राजस्थान में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधान सभा क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र
1	अलवर	राजगढ़–लक्ष्मणगढ़
2	बांसवाड़ा	कुशलगढ़
3		गढ़ी
4		घाटोल
5		बागीदौरा
6		बांसवाड़ा
7	डूंगरपुर	सागवाड़ा
8		चौरासी
9		डूंगरपुर
10		आसपुर
11	सवाई माधोपुर	बामनवास
12	सिरोही	पिण्डवाड़ा आबू
13	उदयपुर	झाड़ोल
14		उदयपुर ग्रामीण
15		सलूम्बर
16		खेरवाड़ा
17		गोगुन्दा
18		धरियावद
19	बारां	किशनगंज
20	दौसा	लालसोट
21	करौली	सपोटरा
22		टोडाभीम
23	जयपुर	जमवारामगढ़
24		बस्सी
25	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़

नोट :—आवेदक संस्था को जिला कलेक्टर अथवा एस.डी.एम. से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके महाविद्यालय का स्थान आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में आता है ।

12. आवेदन पत्र

नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु :

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आवेदित सत्र ——————

नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन फार्म का प्रारूप

12.1 भाग – 'अ' (चेक लिस्ट)

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की प्रति ।
2. पंजीयक से पंजीकृत (5–21) सदस्यीय प्रबन्ध समिति जिसमें 30 प्रतिशत महिलायें हो, के सदस्यों की सूची।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा निजी महाविद्यालय/ विषय/ संकाय प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति। (सिलेबस प्रति संलग्न नहीं करें)
4. विषय/ संकाय की सूची मय शुल्क का विवरण **(आवेदन शुल्क एवं विषय शुल्क जोडकर एक ही डीडी बनाये)**
5. जहाँ महाविद्यालय स्थापित किया जाना है यदि वह क्षेत्र आरक्षित विधानसभा/ पिछड़ा क्षेत्र में स्थित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (एडीएम)/(एसडीएम) द्वारा।
6. प्रस्तावित महाविद्यालय (नाम व पता) एवं संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें) के संयुक्त खाते में स्थाई निधि में 5 वर्ष के लिए नवीनतम एफ.डी.आर. की प्रति।
7. संस्था के नाम स्वयं के भूमि-भवन का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रतिलिपि वर्ग मीटर में। संस्था के नाम भवन लीजडीड/ किराये पर है तो उसकी प्रति ।
8. भवन का पी डब्लूडी/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित मानचित्र (प्रस्तावित एवं वर्तमान भवन मानचित्र) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर की छाया चित्र।
9. नवीनतम (सत्रानुसार) भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा) यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता।
10. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का घोषणा पत्र।
11. संस्था को तीन वर्ष के भीतर मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर भवन का निर्माण करना होगा, इस आशय का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।

नोट – सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989" देखें ।

12.2 भाग – 'ब'

नवीन महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

I प्रस्तावित महाविद्यालय का प्रकार सामान्य (स्नातक) / विधि

II प्रस्तावित महाविद्यालय की श्रेणी सहशिक्षा / महिला

III क्या प्रस्तावित महाविद्यालय पिछड़े क्षेत्र में आता है– हां / नहीं

(अगर हां तो नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

IV क्या प्रस्तावित महाविद्यालय आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के

अर्न्तगत आता है?(अगर हां तो नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें) हां / नहीं

V आवेदन शुल्क राशि रू0............डी.डी. क्रमांक .... दि0 .... बैंक...

(डी.डी. के पीछे समिति / महाविद्यालय का नाम व स्थान अवश्य अंकित करें)

VI एफ.डी.आर. राशि रू0 ....क्रमांक .... दि0 .... बैंक..........

.... अवधि ....

1 प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम एवं ____________________

पूर्ण पता ____________________

विधान सभा क्षेत्र.......... पिन कोड .... तहसील.......... जिला ....

दूरभाष नं. मय एसटीडी कोड ____________________

फैक्स नं. ____________________

मोबाइल ____________________

ई–मेल पता ____________________

2 सम्बद्धक विश्वविद्यालय ____________________

3 प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम, पता व ____________________

दूरभाष नम्बर ____________________

4 आवेदक समिति / ट्रस्ट का नाम व पता मय ____________________

पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक ____________________

5 पंजीकृत विधान की प्रति ____________________

6 पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति ____________________

के सदस्यों के नाम,पते टेलीफोन नम्बर, व्यवसाय सूची संलग्न करें

7 वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि ____________________

8 प्रस्तावित महाविद्यालय की क्षेत्रीय आवश्यकता एवं ____________________

औचित्य का आधार ____________________

12.3 भाग - 'ख'

आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी विवरण (कृपया सम्बन्धित को टिक करें)

1. भूमि—

1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से क्रय 3. दान से 4. लीज पर 5. किराये पर

(अ) भूमि का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय 2. समिति / ट्रस्ट

3. अन्य(स्पष्ट नाम लिखें)______________________4 दस्तावेज (पंजीकृत / अपंजीकृत)

(ब) भूमि का क्षेत्रफल केवल वर्ग मीटर में ______________________खसरा नं.____________

(भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट संलग्न करें)

2. भवन —

1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से क्रय 3. दान से 4. लीज पर 5. किराये पर

(अ) भवन का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय 2. समिति / ट्रस्ट

3. अन्य(स्पष्ट नाम लिखें) ______________________4 दस्तावेज (पंजीकृत / अपंजीकृत)

(ब) भवन का क्षेत्रफल केवल वर्ग मीटर में ______________________________

कक्षों की संख्या व आकार लिखें :—

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	स्टाफ कक्ष	कार्यालय कक्ष	भंडार कक्ष	क्रीड़ा कक्ष
मापदण्ड/फुट में					
कमरा नं					

शैक्षणिक

कक्षा कक्षों की कुल संख्या ...		प्रयोगशाला की कुल संख्या...	पुस्तकालय	वाचनालय
मापदण्ड/फुट में				
कमरा नं				

छात्र सुविधाएं

कामन रूम	साईकिल स्टैण्ड	जल व्यवस्था	पुरूष टायलेटस	महिला टायलेटस

(स) भूमि व भवन के मध्य दूरी ______________________________

12.4 <u>भाग – 'ह'</u>

अकादमिक सूचनाओं का विवरण

1. सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम ______________________________

____

2. आवेदित संकाय ______________________________

____

3. आवेदित विषय ______________________________

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

4. चाहे गये विषय–संकाय सम्बद्धक विश्वविद्यालय में उपलब्ध होने बावत प्रस्ताव की प्रति ______________________________

हस्ताक्षर मय दिनांक
(अध्यक्ष / सचिव प्रबन्ध समिति)

(25) प्रपत्र – 'घ'

घोषणा पत्र

मैं ______________________________ पुत्र/पुत्री श्री ______________________

अध्यक्ष/सचिव ______________________ एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की घोषणा करता/करती हूं कि–

1 महाविद्यालय में सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमों व नीतियों के अनुसार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं ______________________ होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म राजनैतिक प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

3 महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

4 महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जायेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

5 महाविद्यालय का संचालन हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (Intoto) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालना में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

6 संस्था द्वारा तीन वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जायेगा।

7. महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन–देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय–व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर आडिट कराया जायेगा।

8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को क्रमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन जयपुर के नियमानुसार कराया जायेगा।

10 संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमानुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस का अनुमोदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्राप्त करवाया जायेगा।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैंने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर मय दिनांक

(अध्यक्ष/सचिव प्रबंध समिति)

13. आवेदन पत्र

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

आवेदित पत्र ....

अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि / स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र / स्थान परिवर्तन / सहशिक्षा में परिवर्तन / नाम परिवर्तन / प्रबन्ध हस्तान्तरण / नवीन विषय खोलने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन फार्म

(केवल पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिए)

13.1 **भाग – 'अ' (चेक लिस्ट)**

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की प्रति;
2. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची मय दूरभाष (मोबाईल) नम्बर ।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा नवीन विषय / संकाय / सहशिक्षा में परिवर्तन हेतु प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति ।
4. संस्था के महाविद्यालय (नाम व पता) एवं संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें) के संयुक्त खाते में स्थाई निधि में 5 वर्ष के लिए जमा राशि की एफ.डी.आर. की प्रति ।
5. महाविद्यालय के स्वयं की भूमि–भवन के पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियाँ (भूमि का माप केवल वर्ग मीटर में) स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने पर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का 10/- रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक है।
6. भवन का मानचित्र जिसमें महाविद्यालय का नाम व पता स्पष्ट लिखा हो (वर्तमान भवन मानचित्र पीडब्ल्यूडी / सक्षम अधिकारी से प्रमाणित) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर के छाया चित्र।
7. नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा) यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान, राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता ।
8. महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक (यूजीसी योग्यताधारी) एवं अशैक्षणिक स्टाफ की अलग–2 सूची। स्थाई के लिए आवेदन करने पर यूजीसी योग्यताधारी स्थाई स्टाफ पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति ।
9. स्टॉफ का बैंक द्वारा वेतन के भुगतान का प्रमाण पत्र।
10. समस्त स्टॉफ की पी.एफ. कटौती का प्रमाण पत्र।
11. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का घोषणा पत्र।
12. गत तीन वर्षों में महाविद्यालय में संकाय / कक्षा / विषयवार छात्र / छात्राओं की संख्या का विवरण । सारणी में प्रस्तुत करे। (टी.सी. आफा संलग्न नहीं करें)।
13. गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम का विवरण। सारणी में प्रस्तुत करे। (टी.सी. आफा संलग्न नहीं करें)।
14. [illegible] क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी एवं [illegible] क्षेत्र में कार्यरत सक्षम अधिकारी का [illegible]।

नोट :– सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989" देखें ।

10.3 **भाग – 'अ'**

महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

I महाविद्यालय का प्रकार सामान्य / विधि

II महाविद्यालय की श्रेणी सहशिक्षा / महिला

III क्या महाविद्यालय पिछड़े क्षेत्र में आता है– हां / नहीं

(अगर हां तो नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

IV क्या महाविद्यालय आरक्षित क्षेत्र में आता है– हां / नहीं

(अगर हां तो नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

V आवेदन शुल्क राशि रू0 ________ डी.डी. क्रमांक ________ दि0 ________ बैंक ________

(डी.डी. के पीछे समिति/महाविद्यालय का नाम व स्थान अवश्य अंकित करें)

VI एफ.डी.आर. राशि रू0 ________ क्रमांक ________ दि0 ________ बैंक ________ अवधि

VII महाविद्यालय स्थापना वर्ष (प्रथम एन.ओ.सी. की प्रति संलग्न करें) ________

1. महाविद्यालय का नाम एवं ________

पूर्ण पता ________

विधान सभा क्षेत्र ________ पिन कोड ________ तहसील ________ जिला ________

दूरभाष नं मय एसटीडी कोड ________

फैक्स नं ________

मोबाइल ________

ई–मेल पता ________

2. सम्बद्धक विश्वविद्यालय ________

3. प्राचार्य का नाम व मोबाईल नं ________

4. प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम, पता व ________

मोबाईल नम्बर ________

5. समिति/ट्रस्ट का नाम व पता मय ________

पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक ________

6. पंजीकृत विधान की प्रति ________

7. पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति ________

के सदस्यों के नाम,पते, टेलीफोन नम्बर व्यवसाय (सूची संलग्न करें)

8. वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि ________

13.3 भाग – 'ख'

आवश्यक सुविधाओं सम्बन्धी विवरण– (कृपया प्रमाणित को मार्क करें)

1 भूमि–

1 सरकार से आवंटित   2 निजी व्यक्ति से क्रय   3 दान में   4 लीज पर   5 किराये पर

(अ) भूमि का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1 महाविद्यालय   2 समिति / ट्रस्ट

3 अन्य (स्पष्ट नाम लिखें)............ 4 दस्तावेज पंजीकृत / अपंजीकृत

(ब) भूमि का क्षेत्रफल केवल वर्ग मीटर में .... खसरा नं0..................

(स) महाविद्यालय के उपयोगार्थ उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल केवल वर्ग मीटर में ....

(भवन का प्रमाणित ब्लू प्रिन्ट संलग्न करें)

2 भवन :–

1 सरकार से आवंटित   2 निजी व्यक्ति से क्रय   3 दान से   4 लीज पर   5 किराये पर

(अ) भवन का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1 महाविद्यालय   2 समिति / ट्रस्ट

3 अन्य(स्पष्ट नाम लिखें) ....4 दस्तावेज (पंजीकृत / अपंजीकृत)

(ब) भवन का क्षेत्रफल केवल वर्ग मीटर में ....खसरा नं0..................

कक्षों की संख्या व आकार लिखें :–

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	उपाचार्य कक्ष	स्टाफ कक्ष	कार्यालय कक्ष	भंडार कक्ष	क्रीडा कक्ष
मापदण्ड						
कमरा नं.						

अकादमिक

कक्षा कक्षों की कुल संख्या		प्रयोगशाला की कुल संख्या	पुस्तकालय	वाचनालय
मापदण्ड				
कमरा नं				

अन्य सुविधाएं

सामान्य कक्ष	चिकित्सा कक्ष	जल संग्रहण	पुरुष टायलेट्स	महिला टायलेट्स

(स) भूमि व भवन की कुल पूंजी ....

13.4 भाग – 'द'

अकादमिक सूचनाओं का विवरण

1. सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम ....

2. संस्था को पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों / ....
तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के पत्रों
की प्रति (फोटो प्रति संलग्न करें)

3. संचालित संकाय / विषय (ऐच्छिक विषयों सहित) ....

....

....

....

3.1 नवीन प्रस्तावित संकाय (विषय सहित) ....

(समिति का प्रस्ताव संलग्न करें) ....

....

4. सम्बद्धक विश्वविद्यालय में चाहे विषय / संकाय
उपलब्ध होने बावत् शपथ पत्र की प्रति ....

5. महाविद्यालय हेतु नियुक्त किये गये / किये जाने वाले स्टाफ का विवरण –

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	
2	व्याख्याता	
3	पुस्तकालयाध्यक्ष	
4	पी.टी.आई.	
5	कार्यालय स्टाफ	
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
7	अन्य	

6. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का विवरण प्रत्येक शिक्षक की अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(तालिका के अनुसार अलग से सूची बनाकर प्रस्तुत करें)

क्र. सं.	नाम	पद	विषय	स्थायी / अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	मूल वेतन	मासिक वेतन एवं भत्ते	भविष्य निधि अंशदान

7. महाविद्यालय में उपलब्ध अशैक्षणिक स्टॉफ का विवरण ।

(तालिका के अनुसार अलग से सूची बनाकर प्रस्तुत करें)

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी / अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	मूल वेतन	मासिक वेतन एवं भत्ते	भविष्य निधि अंशदान

8. गत तीन वर्षों में महाविद्यालय में संकायवार, कक्षावार एवं ____________
विषयवार नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत छात्रों की संख्या ____________
(सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)

9. गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम संलग्न करें ____________
(सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)

हस्ताक्षर मय दिनांक
(अध्यक्ष / सचिव प्रबंध समिति)

घोषणा पत्र

मैं .....पुत्र / पुत्री श्री.....

अध्यक्ष / सचिव .....एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की घोषणा करता / करती हूँ कि–

1 महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। तत्पश्चात खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमों व नीतियों के अनुसार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति / धर्म राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति / धर्म, राजनीतिक प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरूद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होगी।

3 महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति / धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति धर्म वर्ग को आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबन्ध के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होगी।

4 महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जावेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबन्ध के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होगी।

5 महाविद्यालय का संचालन हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (Intoto) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालना में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होगी।

6 संस्था द्वारा तीन वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जावेगा।

7 महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन-देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष / सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय–व्यय का पृथक लेखा जोखा व्यवस्थित कर आडिट कराया जायेगा।

8 महाविद्यालय में छात्र / छात्राओं को प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को क्रमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रशासकीय निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर से नियमानुसार करवाया जावेगा।

10 संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमानुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस का अनुमोदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्राप्त करवाया जावेगा।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैंने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होगी।

हस्ताक्षर मय दिनांक
(अध्यक्ष / सचिव प्रबन्ध समिति)